दिनांक 05.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 05/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुलतानपुर/ थाना कोतवाली कादीपुर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.09.2021 को थाना कादीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटघरा भीमलपुर भट्टे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गणेश प्रभाकर उर्फ मंदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 920 रूपये बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कादीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 355/2021 धारा 395/412 भादवि व थाना दोस्तपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2021 धारा 396/412 भादवि, मु0अ0सं0 145/2021 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कादीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गणेश प्रभाकर उर्फ मंदीप निवासी कटघरा भीमलपुर थाना कादीपुर जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–लूटे गये 920 रूपये नगद।

जनपद वाराणसी ग्रामीण/ थाना रोहनिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **मोबाइल फोन, आधार कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2021 को थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लठिया तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रोहनिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 423/2021 धारा 302/201 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोपी निवासी अष्टभुजी कॉलोनी पंचकोशी रोड शिवपुर वाराणसी।

बरामदगी

1—मोबाइल फोन, आधार कार्ड आदि।

जनपद कौशाम्बी/ थाना मंझनपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.09.2021 को थाना मंझनपुर व थाना महेवाघाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया उमरा टेवा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवबोध उर्फ शीबू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महेवाघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंझनपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवबोध उर्फ शीबू निवासी बसुहार थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

जनपद फतेहगढ़/ थाना राजेपुर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 जरीकेन में 490 रेक्टीफाइड अवैध स्प्रिट, अवैध शराब**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2021 को थाना राजेपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निबिया चौराहा के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील उर्फ राजू सहित 03 अभियुक्त 2–प्रशान्त 3–अवधेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 12 जरीकेन में 490 रेक्टीफाइड अवैध स्प्रिट, अवैध शराब, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुनील उर्फ राजू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में आबकारी एक्ट, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त सुनील उर्फ राजू जनपद फतेहगढ़ से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना राजेपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील उर्फ राजू निवासी मेमरान टैगोर कालोनी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

2–प्रशान्त निवासी दीन दयाल बाग थाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।

3–अवधेश निवासी गौटिया पश्चिमी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–12 जरीकेन में 490 रेक्टीफाइड अवैध स्प्रिट, अवैध शराब ।

2–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद बुलन्दशहर / थाना कोतवाली देहात

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 दो पहिया वाहन**
- **वाहनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के उपकरण व दस्तावेज**
- **02 अवैध तमंचा 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **06 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2021 की रात्रि थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनूपशहर रोड दोहली बम्बे पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 04 शातिर अभियुक्तों 1—बब्बू उर्फ अजय 2—दानिश उर्फ समीर 3—अभिषेक उर्फ शिवम 4—सद्दाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 दो पहिया वाहन, वाहनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के उपकरण व दस्तावेज, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर 02 जीवित कारतूस, 06 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दानिश उर्फ समीर के विरूद्ध जनपद मेरठ, हापुड, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से वाहनों की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बब्बू उर्फ अजय निवासी भाटेल थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़।

2—दानिश उर्फ समीर निवासी कस्बा किठौर मवाना रोड़ टंकी वाला मोहल्ला नई बस्ती थाना किठौर मेरठ।

3—अभिषेक उर्फ शिवम निवासी सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

4—सद्दाम निवासी मो0पुरा बागदान थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 24 दो पहिया वाहन।

2—वाहनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के उपकरण व दस्तावेज।

3—06 मोबाइल फोन।

4—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर आदि।

जनपद प्रयागराज/ थाना खीरी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 04.09.2021 को थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौंदी के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खीरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक निवासी फूलतारा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1—लगभग 09 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 चार पहिया वाहन।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/ थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 चार पहिया वाहन**
- **चोरी के 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04.09.2021 को थाना दादरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोलचक्कर से डाढ़ा गोलचक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अरूण कुमार घायल हो गया, जिसे अभियुक्त अमित सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 चार पहिया वाहन, चोरी के 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.08.2021 को थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 848/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद कार उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरूण कुमार निवासी शुकलमपुर मिलक थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

2–अमित निवासी शुकलमपुर मिलक थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

बरामदगी

1–लूट की 01 चार पहिया वाहन।

2–चोरी के 02 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित 02 खोखा कारतूस।

जनपद बदायूँ/ थाना उझानी

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.09.2021 को थाना उझानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर संजरपुर रोड़ चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–अमित पुत्र सुरेश 2–नीरज उर्फ नीरू 3–अमित कुमार पुत्र भोजराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त 4–सोनू 5–हैप्पी उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार कर चोरी की 09 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद बदायूँ, अलीगढ़, बुलन्दशहर व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से मोटर साइकिल की चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित पुत्र सुरेश निवासी ब्राम्हापुरी उत्तरी पूर्वी दिल्ली।

2–नीरज उर्फ नीरू निवासी भीकमपुरा कोठी नगला थाना छर्रा जनपद अलीगढ़।

3–अमित कुमार पुत्र भोजराज निवासी भीकमपुरा कोठी नगला थाना छर्रा जनपद अलीगढ़।

4—सोनू निवासी किला खेड़ा थाना उझानी जनपद बदायूँ।

5—हैप्पी उर्फ अभिषेक निवासी भर्राटोला थाना उझानी जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—चोरी की 09 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बलिया/ थाना रसड़ा

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 85 लाख रूपये कीमत की 155 पेटी अवैध अग्रेजी शराब**
- **01 डीसीएम, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद**

दिनांक 05.09.2021 को थाना रसड़ा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिधागर घाट के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—राहुल 2—जयप्रकाश 3—योगेन्द्र कुमार 4—कालें खाँ 5—विजेन्द्र 6—सुरेन्द्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 85 लाख रूपये कीमत की 155 पेटी अवैध अग्रेजी शराब, 01 डीसीएम, 01 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी छायसा थाना छायसा जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

2—जयप्रकाश निवासी अलौदाजागीर थाना ककौर जनपद बुलन्दशहर।

3—योगेन्द्र कुमार निवासी कमालपुर थाना खुरजा जनपद बुलन्दशहर।

4—कालें खाँ निवासी टेगना थाना खुरजा जनपद बुलन्दशहर।

5—विजेन्द्र निवासी मुहैना थाना छायसा जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

6—सुरेन्द्र उर्फ सोनू निवासी कमालपुर थाना खुरजा जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 85 लाख रूपये कीमत की 155 पेटी अवैध अग्रेजी शराब।

2—01 डीसीएम।

3—01 स्विफ्ट डिजायर कार।

जनपद आगरा/ थाना लोहामण्डी

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.09.2021 को थाना लोहामण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, जुआ एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोहामण्डी के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शैलेन्द्र उर्फ निक्की निवासी नया बांस थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।

जनपद सम्भल/ थाना असमोली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 700 लीटर अवैध शराब।**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 04.09.2021 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कथना मोड़ से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1— अजय 2— संजय 3— राजू उर्फ

राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 700 लीटर अवैध शराब, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी कथना थाना असमोली जनपद सम्भल।

2—संजय निवासी कथना थाना असमोली जनपद सम्भल।

3—राजू उर्फ राजकुमार निवासी कथना थाना असमोली जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—लगभग 04 लाख रूपये कीमत के 700 लीटर अवैध शराब।

2—01 चार पहिया वाहन।

एस0टी0एफ0—विभिन्न अभ्यर्थियो से मोटी रकम लेकर रेलवे व अन्य विभागों में फर्जी भर्ती कराने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 05.09.2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर पैसा लेकर फर्जी भर्ती कराने वालें गिरोहों के 02 सदस्यों को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1.रजनीश कुमार उर्फ राजू पुत्र नन्हें लाल निवासी सी—251 दिनेश नगर पिलखुआ जनपद हापुड।

2.अतुल कुमार दुबे पुत्र रवि प्रताप दुबे निवासी ग्राम चौकडी पोस्ट कोडरी थाना गोला जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः—

1— 05 अदद एटीएम कार्ड

2— 02 अद्द पैन कार्ड

3— 01 अदद वोटर आईडी कार्ड

4— 02 अदद मोबाईल फोन

5— कूटरचित नियुक्ति पत्र

6— अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज

7— 2250 रूपयें जामा तलाशी

8— 50,000/—रूपये नगद (अभ्यर्थियो से भर्ती कराने के नाम से लिए गये)

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 05.09.2021, स्थानः—पुराना रेलवे स्टेशन चौकी तिराहा से 100 मीटर पहले थाना कैण्ट, गोरखपुर समयः—22.30 बजें रात्रि

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को पश्चिम उ0प्र0 एंव पूर्वी उ0प्र0 में को—आपरेटिव बैंक, रेलवे क्लर्क व अन्य सरकारी नौकरियों में कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर मोटी रकम लेकर फर्जी रूप से भर्ती कराने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमे गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन एवं विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि पश्चिम उ0प्र0 एंव पूर्वी उ0प्र0 के कुछ लोगों द्वारा को—आपरेटिव बैंक, रेलवे क्लर्क व अन्य सरकारी नौकरियों में कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर मोटी रकम लेकर फर्जी रूप से भर्ती कराने के लिए एक गिरोह सक्रिय हैं, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर में विभिन्न अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर फर्जी तरीके से भर्ती कराने का कार्य किया जा रहा हैं। प्राप्त सूचना पर विश्वास करके दिनांक 04.09.2021 को निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 वीरबोस, कां0 प्रदीप धनकड, कां0 आकाशदीप की टीम एसटीएफ

फील्ड इकाई, गोरखपुर कार्यालय पहूँची तथा आपस में सूचनाओं को साझा किया जा रहा था कि इसी दौरान ज्ञात हुआ कि रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर मोटी रकम लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ हैं। इस संबंध में पूर्ण जानकारी लेने के लिए एसटीएफ मेरठ व गोरखपुर टीम थाना कैण्ट जा रही थी कि रास्ते में कार्मल गर्ल्स स्कूल से सिटी मॉल जाने वाले तिराहे पर थाना कैण्ट, गोरखपुर पर पंजीकृत उक्त मुकदमें के विवेचक उ0नि0 श्री सुनील कुमार मय हमराह कर्मचारी गण के मौजूद मिले जिनसे सूचना साझा की गयी। इसी दौरान मुखबिर खास सूचना मिली कि पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हैं वह रेलवे स्टेशन से पुराने रेलवे पुलिस चौकी तिराहे की तरफ जाने वाले रोड पर खडे हैं अगर जल्दी किया जाएं तो पकडे जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ मेरठ व गोरखपुर टीम तथा स्थानीय पुलिस रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप तिराहे पर आयी और अपने वाहनों को सडक किनारे खडा कर छिपते छिपाते मय मुखबिर के पुराने रेलवे चौकी तिराहे की तरफ बढे और तिराहें से 200 मीटर पहले मुखबिर ने इशारा कर बताया कि तिराहे से 50 मीटर पहले सडक के दाहिने तरफ रोड पर लगी लाईट के नीचे अटैची नीचे रखकर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं यह वही दोनों हैं। इस पर टीमों ने एकबारगी दबिश देकर उक्त दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त राजू उर्फ रजनीश उपरोक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि दो साल पहले लखनऊ मे मेरी मुलाकात हृदय नारायण मिश्रा पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्राम साधुपुरवा पोस्ट मथुरा बाजार जनपद बलरामपुर हाल पता महाराजा होटल हुसैनगंज, लखनऊ से हुई उसने बताया कि मैं लड़को की सरकारी नौकरी लगवाता हूँ तथा फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसे कमाता हूँ। हृदय नारायण उपरोक्त ने मेरा परिचय अतुल कुमार दुबे उपरोक्त व शीतला प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 हरिहर पाठक निवासी देवलापार थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर से कराया और कहा कि मेरे लिए तुम लड़के व पैसे लाओ तो पैसे में से तुम्हे भी हिस्सा देगें। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगो को पूर्वी

शहर में लाते है वहॉ पर शीतला व अतुल फर्जी कागजो पर बच्चों के हस्ताक्षर कराकर किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट आदि करा देते हैं और पैसे मिले जाते हैं तथा कुछ दिन बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पहचान पत्र दे देते हैं। आज से साल भर पहले को–आपरेटिव बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर मैने ह्दय नारायण मिश्रा उपरोक्त को 05 लाख रूपयें 08 बच्चो के दिये थे तथा प्रत्येक बच्चे पर 05 हजार रूपये मुझे मिले थे। हम लोग पश्चिमी उ0प्र0 के बच्चो को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेते हैं तथा मैडिकल कराने के नाम पर उन्हें गोरखपुर या अन्य किसी पूर्वी शहर में लाते हैं वहॉ पर शीतला व अतुल उपरोक्त आकर फर्जी कागजो पर बच्चो के हस्ताक्षर कराकर किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टैस्ट आदि करा देते हैं और पैसा मिल जाता हैं तथा कुछ दिन बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पहचान पत्र दे देते हैं। मेरी फाईल में जो कागज मिले हैं और मोबाईल में जो पत्र हैं उनका प्रयोग हम लडको को विश्वास मे लेने के लिए प्रयोग करते हैं। आज भी हम दो लडको को रेलवे में क्लर्क पद पर फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर लाये थे उन लडको से 08–08 लाख रूपये पर तय हुआ है जिसमें कुछ पैसा उन लोगो ने टोकन मनी के तौर पर पहले दिया था तथा आज 50,000/– रूपये दिये थे। अतुल ने उन लोगो के मैडिकल के कागज पर अगूँठा लगवाया था। हमसे मिले फर्जी दस्तावेज, नियुक्ति पहचान पत्र एंव मैडिकल कॉल का पत्र मैने, अतुल कुमार दुबे, शीतल प्रसाद पाठक व ह्दय नारायण मिश्रा ने मिलकर बनाये हैं जो फर्जी नियुक्ति दिलाने व धन कमाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अतुल कुमार दुबे उपरोन्त ने पूछताछ पर बताया कि राजू उर्फ रजनीश या शीतल प्रसाद पाठक या ह्दय नारायण मिश्रा जो बच्चे लाते हैं मैं उनका मैडिकल कराता हूॅ जिसकी एवज में मुझे प्रत्येक बच्चे पर 2,000/–रूपये मिलते हैं। मेरे पास से जो कागज मिले हैं उसे हमी लोगों ने तैयार किया हैं तथा इनका प्रयोग नये अभ्यर्थियो को दिखाकर विश्वास में लेने के लिए करते हैं, हम लोग पहले भी नौकरी लगवा चुके हैं। मेरे पास से लिफाफे में जो पैसा मिला हैं वो आज रेलवे में क्लर्क पद पर नियुक्ति कराने आये लडको के हैं तथा ये पैकेट ले जाकर शीतल प्रसाद पाठक व ह्दय नारायण मिश्रा को देने थे इसमें से मुझे मेरा हिस्सा

मिल जाता तथा शेष वह रख लेते। मौके पर मौजूद थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर के उ0नि0 श्री सुनील कुमार ने बताया कि थाना कैण्ट पर जो मुकदमा लिखा हैं उसके ये वांछित अभियुक्त हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना–कैण्ट जनपद गोरखपुर पर मु0अ0सं0 589/2021 धारा 406/420 भादवि पंजीकृत हैं, जिसमें धारा 467/468 भादवि की बढोत्तरी कर अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————